न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

अनवान गोपाल राम बनाम डूंगरराम आदि

प्रकरण का प्रकार 223 आरटीएक्ट क्रमांक 66 सन 2023

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
22.03.2023	पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता की एडमिशन पर पुनः बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि पूर्ण वल्द बस्ती के संतानों का रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर की प्रश्गनत भूमि में पूर्ण के वारिसान का हक व हिस्सा दर्शाये बिना निर्णय पारित करवाया गया है। अपीलांट अनपढ है तथा उसे कानूनी बातों का कतई ध्यान नहीं था अपीलाण्ट को डूंगरराम द्वारा उसके हिस्से की भूमि का वसीयत कराने की कहकर कोरे कागज पर अंगूठा लगाकर इकबालदावा पेश कर दिया जबकि अपीलाण्ट को अर्जीदावा अभिभाषक वादी/रेस्पोडेण्ट द्वारा व अदालत द्वारा पढकर नहीं सुनाया गया तथा इकबाल दावा तस्दीक नहीं किया गया का पता चला तब उसी दिन अपीलाण्ट ने न्यायालय हाजा में उपरोक्त समस्त तथ्यों का पता किया तो अपीलाट के अभिभाषक द्वारा ए.डी. एम. कोर्ट की पत्रावली देखकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के बारे में बताया तथा दिनांक 23.12.2022 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्रमाणित प्रति नकल प्राप्त कर अन्दर मियाद अपील पेश कर दी है। अपील अंदर मियाद है। अतः अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2008 आरबीजे पेज 761, 2015 (3) पेज 142 एस.सी. का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया। विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने खातेदारी अधिकारों का वाद पेश किया था जो दिनांक 31.01.1994 को डिक्री किया गया है। पत्रावली के साथ प्रस्तुत निर्णय की प्रमाणित प्रति से यह स्पष्ट है कि	

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्रतिवादीगण के इकबालदावा के आधार पर पारित किया गया है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित आकर जब इकबाल दावा पेश कर दिया एवं इस इकबाल दावा के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.01.1994 को पारित कर दी गई है तब उक्त निर्णय एवं डिक्री के लगभग 28 वर्ष बाद यह अपील पेश की है। जब अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में इकबालदावा पेश कर दिया था तो उसका यह तथ्य स्वीकार्य नहीं है कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का से ज्ञान नहीं था। ऐसी स्थिति कें अपील अपीलाण्ट एडमिशन की स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट एडमिशन के स्तर पर ही खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णित शुमार व नंबंर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

22/3/23

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner